

# मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

## विनिकृ कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 9 मार्च, 1999 (फल्गुन 18, 1920)

समय 10.30 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री नरेन्द्र कुमार नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (उ) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का उड वा वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1993-94 पटल पर रखेंगे।

(2) श्रीमती उर्मिला सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 24 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रथम प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 तथा आयोग के प्रथम प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 की अनुशंसाओं पर पालन प्रतिवेदन पटल पर रखेंगी।

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री सुधाकर राव बापट, सदस्य, सारां जिले के आगासोद में निर्माणाधीन रिफायनरी द्वारा विस्थापित कृषकों को मुआवजा राशि न दिये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री ओंकार प्रसाद तिवारी, अजय विज्ञोई, कैलाश विजयवर्णीय, सदस्य, जबलपुर जिले के पाटन में एक छात्रा द्वारा आत्मवाह किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

### 4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. सुनीलम्, सदस्य, बैतूल जिले के ग्राम परमण्डल में हाई स्कूल खोले जाने;

(2) श्री सुधाकर राव बापट, सदस्य, सीधी जिले के ग्राम शिकारगंज के भूमिहीन कृषकों को काबिज भूमि का पट्टा दिलाये जाने;

(3) श्री वृन्दावन बड़गङ्घाया, सदस्य, सतना जिले के ग्राम बठिया से चौरहटा तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने; तथा

(4) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल नगर के -

(क) अशोका गार्डन से रेलवे स्टेशन तक सड़क बनाये जाने;

(ख) सुधाष नगर रेलवे क्रासिंग पर पुल बनाये जाने;

(ग) ऐश्वार्ग स्टेडियम के पास रेलवे क्रासिंग पर पुल बनाये जाने; तथा

(घ) छोला रोड रेलवे क्रासिंग पर पुल बनाये जाने ,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे।

### 5. वक्तव्य

(1) श्रीमती उर्मिला सिंह, आदिम जाति कल्याण मंत्री, दिनांक 23 फरवरी, 1999 को पूछे गये -

(क) ताराकित प्रश्न संख्या 14 (क्रमांक 1853), तथा

(ख) ताराकित प्रश्न संख्या 18 (क्रमांक 1760),

के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य कैगी।

(2) श्री नरेन्द्र कुमार नाहटा, उद्योग मंत्री, दिनांक 23 फरवरी, 1999 को पूछे गये ताराकित प्रश्न संख्या 24 (क्रमांक 963) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे।

### ८. विश्वविद्यालयों की सभाओं (कोर्ट) के लिये सदस्यों का निर्वाचन

श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

" यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्विष्ट करें, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित विश्वविद्यालयों की सभा (कोर्ट) के लिये राज्य विधान सभा के सदस्यों में से प्रत्येक विश्वविद्यालय के लिये क्रमशः आठ-आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिये अप्रसर हों : -

- (1) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा
- (2) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर
- (3) डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर
- (4) रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
- (5) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- (6) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर
- (7) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन तथा
- (8) ब्रह्मस्तुतला विश्वविद्यालय, भोपाल."

### ७. शासकीय विधि विवरण कार्य

श्री सत्यनारायण शर्मा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 6 सन् 1999) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

### ८. वर्ष 1999-2000 की अनुधानों की मांगों पर मतावान (क्रमशः)

निर्धारित

समय

2 घन्टे	(1) मांग संख्या 13	कृषि
	मांग संख्या 17	सहकारिता
30 मि.	मांग संख्या 40	आयालट
	मांग संख्या 52	कृषि विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
2 घन्टे	मांग संख्या 54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय
	(2) मांग संख्या 24	लोक निर्माण कार्य-सङ्केत और पुल
30 मि.	मांग संख्या 42	आविवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सङ्केत और पुल
	मांग संख्या 43	खेल और युवक कल्याण
1 घन्टा	मांग संख्या 67	लोक निर्माण कार्य-भवन
	मांग संख्या 68	आविवासी क्षेत्र उप योजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन
2 घन्टे	मांग संख्या 89	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
	(3) मांग संख्या 21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय
2 घन्टे	मांग संख्या 73	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
	(4) मांग संख्या 11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय
2 घन्टे	मांग संख्या 46	विज्ञान और टेक्नालॉजी
	मांग संख्या 56	ग्रामोद्योग
2 घन्टे	मांग संख्या 78	ग्रामोद्योग विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

भोपाल :  
दिनांक : ९ मार्च, 1999

के.पी. सिकरी  
सचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा